



RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISWAVIDYALAYA

(State Technological University of Madhya Pradesh)

Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal – 462033

Advertisement

Requirement of Guest Faculty

Applications are invited from eligible candidates as per AICTE/UGC qualifications for teaching in UTDs, UIT-Shahdol and University Polytechnic RGPV, Bhopal for the Following discipline

School of Information Technology, RGPV Bhopal			
Discipline	Desirable Specialization	Interview Date	Venue
Humanities	English	02/09/2026	SoIT, RGPV, Bhopal
CSE / IT	AI&ML, Data Science	03/09/2026	SoIT, RGPV, Bhopal
School of Applied Management, RGPV Bhopal			
Management	IT/ Digital Marketing / Operation Management* (Preferably)	02/09/2026	SoAM, RGPV, Bhopal
UIT Shahdol, RGPV Bhopal			
Mathematics	Mathematics	02/09/2026	KRC, RGPV, Bhopal
University Polytechnic, RGPV Bhopal			
Civil	Transportation/ Construction technology & Management Hydropower Engineering	03/09/2026	Univ. Poly., RGPV, Bhopal
CSE	Computer Science & Engineering	03/09/2026	SoIT, RGPV, Bhopal
Electrical	Power Electronics, Power Systems	02/09/2026	Univ. Poly., RGPV , Bhopal
Chemistry	Chemistry	02/09/2026	Univ. Poly., RGPV , Bhopal

These positions are fully temporary in nature. Please refer to orders Directorate of Technical Education, MP order no. F1-6/2020/ 42-1 date 27/01/2022, 05/10/2023 & 08/11/2023 for more information. Please fill out the Google Form separately for each institute.

Application form has to be submitted only through the following Google form link:

<https://forms.gle/TdxDmP9pn4ECfTgd7>

The last date to submit the application form is 30/08/2026.



RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA

(University of Technology of Madhya Pradesh)

Airport Road, Bhopal - 462033

अतिथि व्याख्याताओं हेतु साक्षात्कार

No. RGPV/2026/464

Date 19.08.2026

रा.गा.प्रौ.वि. के अधीनस्थ संचालित स्कूल ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, यूआईटी शहडोल में संचालित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों स्कूल ऑफ एप्लाइड मैनेजमेंट में संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम एवं यूनिवर्सिटी पोलिटेक्निक में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अतिथि व्याख्याताओं के आवेदन दिनांक 21 अगस्त 2026 से 30 अगस्त 2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवश्यक आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी/आदेश/निर्देश आरजीपीवी की वेबसाइट www.rgpv.ac.in पर उपलब्ध है। साक्षात्कार आरजीपीवी परिसर में आयोजित किए जायेंगे।

म.प्र. माध्यम/127660/2026

संचालक/प्राचार्य

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 27/01/22

क्रमांक एफ-1-6/2020/42-1:: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद् के आदेश आयटम क्रमांक-15 दिनांक 18 जनवरी, 2022 के अनुसार विभाग के अधीनस्थ स्वशासी इंजीनियरिंग स्वशासी/शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष/व्याख्याता के स्वीकृत रिक्त पदों के आधार पर 11 माह हेतु अतिथि व्याख्याता के रूप में मासिक मानदेय अधिकतम रुपये 30,000/- (रुपये तीस हजार) के भुगतान पर आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी करता है:-

2. इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ विभागाध्यक्ष/व्याख्याता के स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के आधार पर आमंत्रित होकर अतिथि व्याख्याता के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित/निरस्त करते हुए नवीन निर्देश निम्नानुसार होंगे:-
 - 2.1 अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ विभागाध्यक्ष/व्याख्याता के रिक्त पदों के आधार पर की जायेगी।
 - 2.2 अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था वास्तविक अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या के आधार पर अभातशिप के मापदंड के अनुसार निर्धारित वर्कलोड के अनुसार की जायेगी।
 - 2.3 संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अभातशिप के मापदंड अनुसार रहेगी।
 - 2.4 अतिथि व्याख्याता किसी भी स्थिति में नियमित महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत 'लोक सेवक' नहीं माने जायेंगे।
 - 2.5 अतिथि व्याख्याताओं को महाविद्यालय में प्रति दिवस न्यूनतम 5 घण्टे तथा प्रतिसप्ताह न्यूनतम 40 घण्टे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार प्रति दिवस औसत 7 घण्टे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि व्याख्याताओं द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घण्टे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त वे ट्यूटोरियल, अतिरिक्त कक्षाएँ, प्रायोगिक कार्य, प्रवेश, परीक्षा कार्य, योजनाओं का संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा

गतिविधियाँ, युवा-उत्सव आदि का भी कार्य संपादित करेंगे। शासन/महाविद्यालय की आवश्यकता अनुसार प्राचार्य के निर्देश पर अतिरिक्त कार्य भी संपादित करवाया जा सकेगा।

3. अतिथि व्याख्याता के आमंत्रण की प्रक्रिया:-

- 3.1 अतिथि व्याख्याता का आमंत्रण पत्र शैक्षणिक सत्र के अधिकतम 11 माह के लिए प्राचार्य द्वारा शासी निकाय/जनभागीदारी समिति के सचिव की हैसियत से जारी किया जायेगा।
- 3.2 अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों/संस्थाओं में कार्य नहीं करेगा। इस आशय का शपथ-पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 3.3 आमंत्रित आवेदक को महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में अपनी उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अतिथि व्याख्याता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्राचार्य द्वारा समस्त अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से परीक्षण एवं संतुष्टि उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।
- 3.4 अतिथि व्याख्याता के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उनके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए अतिथि व्याख्याता को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इस आशय का भी शपथ पत्र देना होगा कि वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/ अशासकीय सेवा में नहीं है।
- 3.5 किसी भी स्थिति में स्थानांतरण से नियमित पदस्थापना या नवीन नियुक्ति से पदस्थापना के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के आधार पर आमंत्रित अतिथि व्याख्यातों का आमंत्रण समाप्त समझा जायेगा।
- 3.6 महाविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत अतिथि व्याख्याता यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा, जिसकी जानकारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा संचालनालय एवं अभ्यर्थी को प्रेषित की जायेगी।
- 3.7 अतिथि व्याख्याता को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा शासन/महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 3.8 अतिथि व्याख्याता द्वारा संपूर्ण सत्र में किए गए पठन-पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित विद्यार्थियों के विश्वविद्यालयीन परीक्षा के अर्जित अंकों एवं प्राचार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

- 3.9 प्राचार्य महाविद्यालय में आमंत्रित अतिथि व्याख्याता के अध्यापन कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड अपने अधीन संधारित रखेंगे ताकि इसके मूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके।
- 3.10 प्रसूति के कारण अवकाश पर रहने वाली महिला अतिथि व्याख्याता को प्राचार्य द्वारा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा तथा प्रसूति अवकाश के दौरान उस महिला अतिथि व्याख्याता के स्थान पर कोई अन्य अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित नहीं किया जायेगा। अवैतनिक अवकाश स्वीकृति के समय इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सामान्य निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। अवैतनिक प्रसूति अवकाश का लाभ लेने के उपरांत महिला अतिथि व्याख्याता द्वारा आमंत्रण की शेष अवधि में अपना कार्य पूर्ण किया जाएगा।
4. मानदेय का निर्धारण:-
- 4.1 अतिथि व्याख्याता की महाविद्यालय में माह के सम्पूर्ण कार्य दिवस उपस्थिति होने पर रुपये 30,000/- का भुगतान किया जायेगा।
- 4.2 अतिथि व्याख्याता की महाविद्यालय में माह के सम्पूर्ण कार्य दिवस उपस्थित नहीं होने पर-

कुल मानदेय =	30000 X संतोषप्रद कार्य की उपस्थिति के दिवसों की संख्या
	माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या

5. चयन प्रक्रिया:-
- 5.1 संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा प्रतिवर्ष समस्त इंजीनियरिंग एवं पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के लिये एकीकृत चयन प्रक्रिया का संचालन पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5.2 65 वर्ष से कम आयु वर्ग के ऐसे आवेदक जो अभ्यास के प्रचलित विनियमों के अनुरूप शैक्षणिक अर्हता रखेंगे वे विज्ञापित पद के विरुद्ध आवेदन कर सकेंगे।
- 5.3 आमंत्रण के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर छोड़कर) को सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशानुसार पद के लिये आवश्यक न्यूनतम अर्हता के प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी अधिभार दिया जायेगा।

- 5.4 इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में पूर्व से कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को अधिकतम पाँच वर्षों का 20 अंकों का अधिभार अनुभव के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष हेतु अधिकतम अधिभार 4 अंकों का होगा।

काल खण्डों की संख्या (एक शैक्षणिक सत्र में)	अधिभार
151 या अधिक कालखण्ड	4 अंक
101 से 150 कालखण्ड	3 अंक
51 से 100 कालखण्ड	2 अंक
50 या इससे कम कालखण्ड	1 अंक

उक्त आशय का प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय प्राचार्य से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

- 5.5 इस व्यवस्था के तहत निम्नलिखित श्रेणियों में मेरिट सूचीयाँ तैयार की जायेगी। अन्तिम मेरिट सूची अतिथि व्याख्याता द्वारा न्यूनतम अर्हता उपाधि के दर्ज एवं सत्यापित प्राप्तांकों के प्रतिशत के साथ अन्य अधिभारों को जोड़ते हुये बनाई जायेगी:-

श्रेणी-1:- संबंधित विषय में पीएचडी एवं गेट/नेट/स्लेट

श्रेणी-2:- संबंधित विषय में पीएचडी या गेट/नेट/स्लेट

श्रेणी-3:- संबंधित विषय में स्नातकोत्तर

श्रेणी-4:- संबंधित विषय में स्नातक (संबंधित विषय के लिये स्नातक न्यूनतम अर्हता का प्रावधान होने की स्थिति में)

- 5.6 मेरिट अंकों की गणना:- संबंधित विषय के लिये आवश्यक न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत में से 50 घटाया जायेगा तथा अधिभार जोड़ा जायेगा। उदाहरण के लिये यदि किसी आवेदन के न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं, अनुसूचित जाति का है, दिव्यांग भी है एवं 5 वर्षों का अनुभव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होंगे:-

न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा - 25 अंक

अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये अधिभार - 7.5 अंक

दिव्यांग के लिये अधिभार - 7.5 अंक

- 5.7 श्रेणी के क्रमानुसार ही अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित किया जायेगा। अर्थात् श्रेणी-1 के अतिथि व्याख्याताओं को उच्चतम वरीयता दी जायेगी। उसके पश्चात् क्रमशः श्रेणी-2, 3 एवं 4 को वरीयता दी जायेगी। श्रेणी समान

होने पर मेरिट अंकों की वरीयता देखी जायेगी। श्रेणी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले अतिथि व्याख्याता को वरीयता दी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(डॉ. एम.आर. धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौ. वि. एवं रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 27/01/22

पृ.क्र. क्रमांक एफ-1-6/2020/42-1,

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3 स्टॉफ आफिसर, म.प्र.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
- 4 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
- 5 निज सचिव, सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
- 6 आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनलाय, भोपाल।
- 7 कुल सचिव, रा.गा.प्रो.वि. भोपाल।
- 8 संबंधित कोषालय अधिकारी.....।
- 9 स्टॉक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौ. वि. एवं रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 05/10/2023

क्रमांक एफ-1-6/2020/42-1:: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक-104 दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 के अनुक्रम में शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा स्वशासी/शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में विभागीय आदेश क्रमांक एफ-1-6/2020/42-1 भोपाल, दिनांक 27/01/2022 अन्तर्गत एकीकृत चयन प्रक्रिया से नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं एवं विभागीय आदेश क्रमांक एफ-1-30/2018/42-1 भोपाल, दिनांक 06 अक्टूबर 2018 के अन्तर्गत संस्था स्तर पर चयनित अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं:-

1. इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में आदेश क्रमांक एफ-1-6/2020/42-1 भोपाल, दिनांक 27/01/2022 अन्तर्गत एकीकृत चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय रुपये 2000/- प्रति दिवस व अधिकतम रुपये 50,000/- प्रतिमाह किया जाता है।
2. इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में आदेश क्रमांक एफ-1-30/2018/42-1 भोपाल, दिनांक 06 अक्टूबर 2018 अन्तर्गत संस्था स्तर पर एआईसीटीई के मापदण्ड की सीमा अंतर्गत नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय रुपये 2000/- प्रति दिवस व अधिकतम रुपये 50,000/- प्रतिमाह किया जाता है।
3. इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि व्याख्याता को एक शैक्षणिक सत्र के अनुबंध पर रखे जाने की स्थिति में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन का ऐच्छिक अवकाश प्रदान किया जायेगा।
4. संस्था स्तर पर चयनित अतिथि व्याख्याताओं को यह लाभ तभी दिए जाएंगे जब वे पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी करते हों।
5. इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता को अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यों का सम्पादन करना अनिवार्य होगा। अनुबंध की शर्तें विभाग द्वारा पृथक से जारी की जायेंगी।
6. अतिथि व्याख्याता बगैर सूचना दिये एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित नहीं होगा। प्रसूति अवधि में तीन माह की अनुपस्थिति मान्य होगी। अतिथि व्याख्याता की अनुपस्थिति की स्थिति में आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जायेगी।
7. एक माह से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थित होने पर अतिथि व्याख्याता का आमंत्रण समाप्त किया जायेगा।



8. शैक्षणिक या प्रशिक्षण कार्य अथवा आचरण संतोषप्रद न होने पर भी संस्था प्रमुख द्वारा संचालनालय तकनीकी शिक्षा का अनुमोदन प्राप्त कर अतिथि व्याख्याता का आमंत्रण समाप्त किया जाएगा। ऐसे अतिथि व्याख्याता की भविष्य में नियुक्ति की पात्रता के लिए संचालनालय तकनीकी शिक्षा अधिकृत होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(डॉ. एम.आर. धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

पृ.क्र. क्रमांक एफ-1-6/2020/42-1,

भोपाल, दिनांक 05/10/2023

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
- 2 निज सहायक, माननीय मंत्री जी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
- 3 निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
- 4 सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।
- 5 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 6 स्टॉफ आफिसर, म.प्र.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
- 7 आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल।
- 8 आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
- 9 कुल सचिव, रा.गा.प्रो.वि. भोपाल।
- 10 संबंधित कोषालय अधिकारी.....।
- 11 स्टॉक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल
// आदेश //

क्रमांक/एफ-1-6/2020/42-1

भोपाल, दिनांक 08/11/2023

प्रति,

आयुक्त,
संचालनालय तकनीकी शिक्षा,
सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषय- शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में अनुबंध की शर्तें।

मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 04 अक्टूबर 2023 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ-1-6/2020/42-1, दिनांक 05 अक्टूबर 2023 द्वारा प्रदेश के शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय वृद्धि करते हुए निर्देश जारी किये गये हैं। रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में अनुबंध की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. यह व्यवस्था मात्र उन्हीं अतिथि व्याख्याताओं पर लागू होगी जो एआईसीटीई मापदंड (इंजीनियरिंग महाविद्यालय हेतु संकाय छात्र सीट अनुपात 1:20 एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालय हेतु 1:25) की सीमा के अंतर्गत कार्यरत हैं। एआईसीटीई मापदंड की सीमा से बाहर नियुक्त अतिथि व्याख्याता को विभागीय आदेश दिनांक 05 अक्टूबर 2023 के अनुसार लाभ प्राप्त नहीं होंगे एवं उनको प्रति कालखण्ड 400/- का भुगतान जनभागीदारी/सोसायटी से आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा। ऐसे अतिथि व्याख्याताओं का निर्धारण उसी क्रम में किया जायेगा, जो कंडिका-5 में वर्णित है।
2. इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में विभागीय आदेश क्रमांक एफ-1-6/2020/42-1, दिनांक 27.01.2022 अंतर्गत एकीकृत चयन प्रक्रिया अथवा विभागीय आदेश क्रमांक एफ-1-30/2018/42-1, दिनांक 06.10.2018 अंतर्गत संस्था स्तर पर आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय रुपये 2000/- प्रतिदिवस व अधिकतम रुपये 50000/- प्रतिमाह दिया जायेगा।

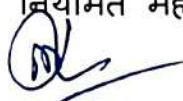


3. अतिथि व्याख्याता को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में 01 वर्ष में 13 आकस्मिक एवं 03 ऐच्छिक अवकाश प्रदान किये जायेंगे।
4. मानदेय निर्धारण के लिए उपस्थित कार्य दिवसों में आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश को मान्य किया जायेगा।
5. शासन द्वारा स्थानांतरण/नियमित नियुक्ति/संविलियन/प्रतिनियुक्ति उपरांत संस्था में शिक्षक की पदस्थापना होने पर संस्था के उस संकाय के सर्वप्रथम 400/- प्रति कालखंड से नियुक्त कनिष्ठतम अतिथि व्याख्याता, तत्पश्चात् अन्य 400/- प्रति कालखंड के नियुक्त अतिथि व्याख्याता, तत्पश्चात् एकीकृत चयन प्रक्रिया की मैरिट के आधार पर संस्था में कार्यरत सबसे न्यून क्रम की मैरिट के अतिथि व्याख्याता का आमंत्रण समाप्त किया जायेगा।
6. अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष रहेगी।
7. अतिथि व्याख्याताओं के अभ्यावेदनों एवं न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के प्रकाश में संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा जानभागीदारी/सोसायटी प्रबंधन के निर्णय के अनुसार किया जायेगा।
8. अतिथि व्याख्याता को शासकीय अवकाश को छोड़कर समस्त दिवसों में संस्था में उपस्थित रहकर सौंपे गये समस्त कार्य संपादित करने होंगे।
9. अतिथि व्याख्याताओं को कार्यालयीन समय में संस्था में पूर्ण समय उपस्थित रहकर प्रति सप्ताह न्यूनतम 18 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, ट्यूटोरियल, अतिरिक्त कक्षाएँ, प्रयोगिक कार्य, प्रवेश कार्य, योजनाओं का संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियाँ, युवा उत्सव, आदि का कार्य भी संपादित करना होगा। शासन/महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य के निर्देश पर अतिरिक्त कार्य भी संपादित करवाया जा सकेगा।
10. अतिथि व्याख्याता को आमंत्रण पत्र संस्था प्राचार्य द्वारा शैक्षणिक सत्र के लिए जारी किया जायेगा। प्रत्येक नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने पर प्राचार्य द्वारा नवीन आमंत्रण पत्र जारी किया जायेगा, जो कि अधिकतम 11 माह के लिये ही सीमित होगा।
11. अतिथि व्याख्याता को महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में अपनी उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण



करने के पूर्व समस्त अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से परीक्षण एवं संतुष्टि उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी। यदि कोई व्यक्ति पद की न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करता, तब आमंत्रण समाप्त किया जाएगा।

12. अतिथि व्याख्याता द्वारा प्रस्तुत जानकारी, जिसके आधार पर आमंत्रण पत्र जारी किया गया है, में किसी भी प्रकार की विसंगति अथवा असत्य पाये जाने पर आमंत्रण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
13. अतिथि व्याख्याता के विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, इस आशय की लिखित उद्घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही, इस आशय की लिखित उद्घोषणा भी देना होगी कि वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।
14. अतिथि व्याख्याता को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा शासन/संचालनालय/महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. अतिथि व्याख्याता का संपूर्ण सत्र में किए गए पठन-पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित विद्यार्थियों के विश्वविद्यालयीन परीक्षा के अर्जित अंकों एवं अन्य सौंपे गए कार्यों में मूल्यांकन के आधार पर प्राचार्य द्वारा किया जाएगा।
16. अतिथि व्याख्याता बगैर सूचना दिये एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित नहीं होगा। एक माह से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थित होने पर अतिथि व्याख्याता का आमंत्रण प्राचार्य द्वारा समाप्त किया जा सकेगा। शैक्षणिक या प्रशासनिक कार्य में लापरवाही/एक सप्ताह से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थित/आचरण संतोषप्रद न होने पर संस्था प्रमुख द्वारा संचालनालय तकनीकी शिक्षा का अनुमोदन प्राप्त कर अतिथि व्याख्याता का आमंत्रण समाप्त किया जा सकेगा। ऐसे अतिथि व्याख्याता की भविष्य में नियुक्ति की पात्रता के लिए आयुक्त, संचालनालय तकनीकी शिक्षा अधिकृत होंगे।
17. महिला अतिथि व्याख्याता को प्रसूति अवधि में तीन माह की अनुपस्थिति मान्य होगी। अतिथि व्याख्याता की अनुपस्थिति की स्थिति में नियमानुसार मानदेय की कटौती की जायेगी। अवैतनिक प्रसूति अवकाश का लाभ लेने के उपरांत महिला अतिथि व्याख्याता को आमंत्रण की शेष अवधि में अपना शैक्षणिक कार्य पूर्ण करना होगा।
18. अतिथि व्याख्याताओं का आमंत्रण पूर्णतः अस्थायी है। अतिथि व्याख्याता किसी भी स्थिति में नियमित महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं



माने जायेंगे और न ही लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत
"लोक सेवक" माने जायेंगे।

19. अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 05 अक्टूबर
2023 उसके जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

उपरोक्तानुसार अनुबंध की शर्तों में उल्लेखित प्रावधान के अधीन आमंत्रण
पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये।



(श्री. एम.आर. धाकड़)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास

एवं रोजगार विभाग

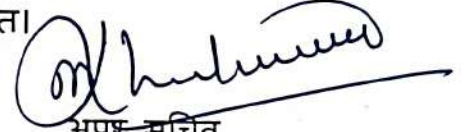
भोपाल, दिनांक 08/11/2023

पृ. क्रमांक/एफ-1-6/2020/42-1

प्रतिलिपि:-

1. समस्त प्राचार्य, स्वशासी/शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. समस्त प्राचार्य, स्वशासी/शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. आदेश नस्ती।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास

एवं रोजगार विभाग